

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1794

दिनांक 10/08/2022

प्रार्थी :-

1.दिनेश कुमार पुत्र माणकमल मालू
जाति ओसवाल, निवासी गोलियार
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. पदमोंदेवी पत्नि तगाराम,
निवासी उण्डखा (बाड़मेर)
2. सवाईसिंह पुत्र बलवंतसिंह, राजपूत
3. हदाराम पुत्र नारणाराम, जाट
निवासी गोलियार, तहसील चौहटन।
4. तहसीलदार चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 188/2018

दिनांक : 03.08.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र सणाऊ के मौजा गोलियार के खेत खसरा सं. 136/24 रकबा 01.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1795 to 1798

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी दिनेश कुमार
3. विप्रार्थीगण पदमोंदेवी वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 10/08/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन